न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 33/2018

अपीलांट–   *बनाम*   **रेस्पोडेंट्स–**

पीराराम पुत्र लाखाराम जाति सुथार निवासी हाडाला सुथारों का तला, मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. प्रहलादराम पुत्र लाखाराम
3. सगताराम पुत्र लाखाराम
4. पेमाराम पुत्र लाखाराम
5. हुकमाराम पुत्र लाखाराम
6. वाली देवी पत्नी लाखाराम

जाति सुथार निवासी हाडाला सुथारों का तला, मीठड़ा, तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 37 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो. सं. 3, 4 व 6 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 2 व 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24.01.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम हाडाला सुथारों की ढाणी के नामान्तरकरण सं. 37 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध दिनांक 28.05.201[illegible] [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के [illegible] हाडाला सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर [illegible] रकबा क्रमशः 00–1[illegible]–06 बीघा भूमि लाखा मुतवना बस्ता कौम सुथार [illegible]किन देह खातेदार [illegible] से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार लाखा के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 37 में मृतक लाखा के वारीस के रूप में सगताराम, पेमाराम, हुकमाराम, प्रहलादराम पि0 लाखा वाली देवी पत्नी लाखा कौम सुथार सा0 देह खातेदारान के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 27.05.2015 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 28.05.2018 को प्रस्तुत की गई हैं। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 3, 4 व 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा हाडाला सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 1469, 2338/1470 रकबा क्रमशः 00–16, 68–06 बीघा भूमि लाखा मुतवना बस्ता कौम सुथार साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज थी। उक्त खातेदार लाखा के फोत होने पर उनके वारीसान के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 37 हल्का पटवारी द्वारा दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम पीराराम के स्थान पर प्रहलादराम गलत दर्ज किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बारे में वारीसान की जांच एवं उन्हे नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आराजी के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तब उक्त अशुद्ध नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। इस पर अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण सं. 37 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 04.05.2018 को प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी होने के अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना वारीसान की जांच एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से इसके विरूद्ध इस अपील के लिये मयाद बाधा नहीं हैं। इसके बावजूद भी विधि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवश्यकता अनुसार धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं आधार पर अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण अपास्त करते हुए विवादित भूमि में अपीलांट का वास्तविक नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 3, 4 व 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की इस अपील के सम्बन्ध में कोई प्रतिवाद नहीं किया तथा अपील के तथ्यों की ताईद करते हुए प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम जो भूल से अशुद्ध अंकित किया गया हैं, को सही किया जाता हैं तो उन्हे कोई एतराज नहीं हैं।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा हाडाला सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 1469, 2338/1470 रकबा क्रमशः 00–16, 68–06 बीघा भूमि लाखा मुतवना बस्ता कौम सुथार साकिन देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार लाखा के फोत होने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 37 में मृतक लाखा के वारीस के रूप में सगताराम, पेमाराम, हुकमाराम, प्रहलादराम पि0 लाखा वाली देवी पत्नी लाखा कौम सुथार सा0 देह खातेदारान के नाम दर्ज कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 27.05.2015 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट का कथन हैं कि उसका वास्तविक नाम पीराराम हैं जो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार बाड़मेर द्वारा बिना जांच एवं पूछताछ के अपनी मनमर्जी से प्रहलादराम लिख दिया हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में उसके अशुद्ध नाम अंकित हो जाने से उन्हे सरकारी योजनाओं के लाभ लेने एवं अन्य प्रयोजनार्थ कठिनाई आ रही हैं। अपीलांट ने अपनी पहचान के दस्तावेज पेन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह पंजीयन स्लीप इत्यादि प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट स्व0 लाखा के वास्तविक वारीस पुत्र हैं। [illegible] न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व वारीसान [illegible] एवं अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदा[illegible] नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं, जो त्रुटिपूर्ण होने से बहाल [illegible] जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। चुंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण एकपक्षीय पारित किया गया हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं जिससे उन्हे उक्त नामान्तरकरण की तत्समय जानकारी नहीं होने का कथन सद्भाविक प्रतीत होता हैं तथा इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा हाडाला सुथारों की ढाणी के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 37 को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक लाखा के वास्तविक वारीसान में अपीलांट के वास्तविक नाम की जांच एवं उनको नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested